हिन्दुस्तान 02
पटना • मंगलवार • 15 मई 2018

जमीन कारोबारी को भी रेरा में कराना होगा निबंधन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

जमीन का कारोबार करने वाले एजेन्टों को भी रेरा में निबंधन कराना होगा। इसके अलावा अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर और डेवलपर के साथ ऐसे एजेन्टों को भी निबंधन कराना जरूरी है जो बने हुए फ्लैट की ब्रिकी करते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने इन्हें रीयल इस्टेट एजेन्ट का नाम दिया है। रेरा के प्रावधान के अनुसार हर वह व्यक्ति जो पांच कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री करता है, उसे निबंधन कराना होगा। अगर प्लॉट पांच कट्ठे का ही हो और उसमें पांच व्यक्ति को एक-एक कट्ठा जमीन बेची गई तब भी कारोबारी निबंधन के दायरे में आएंगे। बड़ा प्लॉट खरीद कर या एग्रीमेंट कराकर उसकी प्लॉटिंग करने वाले इसके दायरे में हैं ही। रेरा ने ऐसे रीयल इस्टेट एजेन्टों के लिए जुर्माने का भी प्रावधान किया है जो बिना निबंधन कराये जमीन या फ्लैट के कारोबार में जुटे हैं, ऐसे लोग जितने दिन कारोबार निबंधन के बिना करेंगे उन्हें हर रोज दस हजार रुपए बतौर फाइन देना होगा। हालांकि प्रावधान कुल परियोजना की कीमत का पांच प्रतिशत भी जुर्माना करने का है, लेकिन यह सब संस्था पर निर्भर करता है। रेरा के इस प्रावधान से राज्य में खासकर राजधानी पटना में कुकुरमुत्ते की तरह उग आये रीयल एजेन्टों के कारोबार पर शिकंजा कसेगा। निबंधन के बाद उन्हें इतने प्रावधानों में बंधना होगा कि गलत जमीन की बिक्री काफी कठिन हो जाएगी। साथ ही जमीन की कीमत में भी मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निबंधित एजेन्ट से जमीन या फ्लैट की खरीद करता है तो किसी प्रकार का धोखा होने पर रेरा से क्रेता को संरक्षण मिलेगा। हालांकि संस्था की नजर अभी बिल्डर और डेवलपरों पर ही है, लेकिन आने वाले दिनों में रीयल एस्टेट एजेन्टों पर भी कार्रवाई शुरू होगी।

सख्ती

- बिना निबंधन के व्यापार करने पर दस हजार रोज होगा फाइन
- बिल्डरों के साथ रियल इस्टेट एजेंटों पर भी कसेगा शिकंजा

05
कट्ठा से अधिक जमीन की बिक्री पर निबंधन कराना जरूरी होगा